बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

आ0सं0–04/STA-P3-04/2018 पटना, दिनांक............................

कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिये Social Distancing महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों से प्रतिदिन लाखों यात्री राज्य के अंदर एवं बाहर सड़क मार्ग से यात्रा करते है । इन सार्वजनिक परिवहन वाहनों में संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु उचित प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों के परिचालन को नियंत्रित एवं Regulate किया जाय।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार के आदेश संख्या 11/महा0(विविध)–01/2020 दिनांक 21.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 के संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के विनियमन के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु सचिव, परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया गया है ।

उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य निजी बस संचालकों द्वारा संचालित सभी मार्गो की अर्न्तराज्यीय बस सेवा का परिचालन तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेगा।

2. राज्य के अंदर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य निजी बस संचालकों द्वारा विभिन्न मार्गो पर संचालित अन्तर जिला बस सेवा का परिचालन तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेगा । किसी जिले में अपरिहार्य परिस्थिति होने पर विशेष बसों के परिचालन के संबंध में निर्णय लेने हेतु संबंधित जिला के जिलाधिकारी सक्षम होंगे ।

3. राज्य की सीमा में विभिन्न परिवहन प्राधिकारों द्वारा सार्वजनिक परिवहन हेतु निर्गत विभिन्न प्रकार के परमिट यथा स्टेज कैरेज परमिट, विशेष परमिट, ठेका परमिट एवं पर्यटक परमिट के अधीन संचालित किये जा रहे सभी प्रकार के यात्री बसों का परिचालन तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेगा ।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 2042 पटना, दिनांक 21/3/2020

प्रतिलिपिः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2020
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना